उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 27/एन0बी0/एस0बी0/2021

महेन्द्र सिंह जीना पुत्र स्वर्गीय श्री दीवान सिंह, निवासी आर्दश कालोनी, तुराखाम, काठगोदाम, जिला–नैनीताल उत्तराखण्ड।

.....याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा परिवहन सचिव, सिविल सचिवालय, सुभाष मार्ग, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, यू0सी0एफ सदन, दीपनगर रोड, विष्णु विहार, अजबपुर कलॉन, देहरादून।
3. महाप्रन्धक (तकनीकी) उत्तराखण्ड परिवहन निगम, यू0सी0एफ सदन, दीपनगर रोड, विष्णु विहार, अजबपुर कलॉन, देहरादून।
4. मण्डलीय प्रबन्धक (तकनीकी), उत्तराखण्ड परिवहन, निगम, काठगोदाम जिला नैनीताल

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री संदीप तिवारी, पीयूष तिवारी एवं जी0सी0जोशी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण सं0 1
श्री प्रेम कौशल, अधिवक्ता,विपक्षीगण सं0 2 से 4

निर्णय

दिनांकः अगस्त 17, 2022

1. प्रस्तुत याचिका याचि की ओर से कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.06.2019 एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 16.06.2020 जिससे याचीकाकर्ता का वेतन ग्रेड पे 4200/– से घटाकर 2800/– किया गया को अपास्त करने तथा उत्तरदाता द्वारा अवैधानिक रूप से रोके गये ग्रेच्युटी का ग्रेड वेतन 4200/– रू0 पर अनुमानित आहरित वेतन पर निर्धारित करते हुए पैमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार ब्याज सहित भुगतान करने एवं याचीकाकर्ता द्वारा उपयुक्त अर्जित अवकाश पर अवकाश नगदीकरण से कोई राशि वसूल न करने का आदेश पारित किया जावे।

2. संक्षेप में याचिकर्ता का कथन है कि याचिकर्ता दिनांक 13.08.1981 के नियुक्ति आदेश के अनुसार प्रतिवादी निगम में 17.08.1981 को क्लीनर के पद पर सेवा में नियुक्त हुआ। नियुक्ति आदेश दिनांक 13.08.1981 की एक प्रति इस दावा याचिका के साथ संलग्न कर अनुलग्नक संख्या–3 के रूप में चिन्हित की जा रही है। दावा याचिका के माध्यम से प्रार्थी इस माननीय न्यायाधिकरण से प्रार्थना करता है कि वह दिनांक 12.06.2019 के कारण बताओ नोटिस और 16.06.2020 के आक्षेपित आदेश जिससे की याचिकाकर्ता का वेतन ग्रेड पे 4200/– से घटाकर 2800/– रूपये कर दिया गया है और तदनुसार प्रतिवादी उक्त वेतन निर्धारण के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली करना चाहता है को रद्द करने की कृपा करें। क्लीनर की सेवाये ग्रुप 'डी' पद रिमस्टर कर फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के ग्रप 'सी' पद पर बहाल करने का निर्णय लिया गया तद्नुसार इस प्रयोजन के लिए गठित ट्रेट टेस्ट एवं अन्य कौशल परीक्षण चयन समिति ने याचिकाकर्ता को फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के ट्रेड टेस्ट व दक्षता परीक्षा के उपरान्त पद के लिए उपयुक्त पाया है और तदनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 02.06.1990 के आदेश द्वारा फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के पद पर नियुक्त किया। आदेश दिनांक 02.06.1990 की एक प्रति संलग्न की जा रही है। और दावा याचिका के अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में चिन्हित की जा रही है।

3. राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 08.03.2011 के तहत राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) योजना को अपनाया, यह योजना उन कर्मचारियों के संबंध में 01.01.2006 से लागू थी जिनका ग्रेड वेतन 5400/–और उससे अधिक था और 01.09.2008 से उन कर्मचारियों के संबंध में जिनका ग्रेड वेतन 4800/– और उससे कम था। इस योजना के पैरा 1 (2) के तहत सीधे नियुक्त व्यक्ति को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अगले वेतनमान में वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होगा। तत्पश्चात् संबंधित व्यक्ति को 08 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दूसरा वित्तीय स्तरोन्नयन और तदुपरान्त 8 वर्ष की सेवा के बाद तृतीय स्तरोन्नयन प्राप्त होगा। इस प्रकार एक राज्य कर्मचारी को 10,18,26 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ए0सी0पी0 का लाभ मिलेगा। आदेश दिनांक 08.03.2011 की एक प्रति इस दावा याचिका में संलग्न कर अनुलग्नक संख्या–8 के रूप में चिन्हित की जा रही है। शासनादेश दिनांक 08.03.2011 के पैरा 2 (i)(बी) के परन्तुक में किये गये प्रावधान के अनुसार ए0सी0पी0 योजना प्रदान करने की नीति इस प्रकार हैः–

''संबंधित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती हे तो प्रोन्नति की तिथि से 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। संबंधित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा''। तत्पश्चात राज्य सरकार ने शासनादेश दिनांक 23.12.2011 द्वारा कनिष्ठ सहायक के संबंध में स्पष्ट किया कि वे समूह 'घ' कर्मचारी जिन्होने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी और कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किये गये थे, वे 10 वर्ष, 18 वर्ष, 26 वर्ष की सेवा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण होने पर ए0सी0पी0 योजना के तहत वित्तीय स्तरोन्नयन के पात्र है। चूंकि याचिकाकर्ता को समूह 'घ' से समूह 'ग' में चयन समिति के माध्यम से भी नियुक्त किया गया है, इसलिए उक्त नियम उसके लिए भी लागू है और वह फिटर (इलेक्ट्रिक) के पद पर प्रभार ग्रहण करने से ए0सी0पी0 योजना का लाभ पाने का भी हकदार है। दिनांक 23.12.2011 के शासनादेश की एक प्रति इस याचिका में संलग्न कर अनुलग्नक संख्या–9 के रूप में चिन्हित की जा रही है। इसके बाद यू0टी0सी मुख्यालय ने आदेश दिनांक 24.02.2012 द्वारा ए0सी0पी0 योाजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए, इस निर्देश के पैरा 9 में प्रावधान है कि जिन कर्मचारियों ने 10 और 20 साल की सेवा पूरी करने पर दो प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया था, उन्हें 26 साल की सेवा पूरी होने पर तृतीय ए0सी0पी0 लाभ दिया जाएगा। तकनीकी संवर्ग के मामले में पदोन्नति वेतनमान क्रमशः 07 और 14 वर्ष पूरे होने पर दिया गया था। इस पत्र में यह भी निर्देश जारी किया गया था कि यदि ए0सी0पी लाभ दिनांक 08.03.2011 के शासनादेश के अनुसार 01.01.2012 से पहले लागू होते है तो यह उक्त तिथि अर्थात 01.09.2008 से काल्पनिक और 01.01.2012 और वास्तविक रूप से दिया जायेगा। दिनांक 24.02.2012 के पत्र की एक सत्य और टंकित प्रति इस दावा याचिका के साथ संलग्न कर अनुलग्नक–12 के रूप में चिन्हित की जा रही है। आगे एक संशोधन आदेश संख्या 313 /XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 30.10.2012 भी जारी किया गया जिसमें यह 01.09.2018 से सभी ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू की गयी और कुछ अन्य संशोधन भी किए गये थे। आदेश दिनांक 30.10.2012

की एक प्रति इस दावा याचिका के साथ संलग्न कर अनुलग्नक संख्या–13 के रूप में चिन्हित की जा रही है।

4. इलेक्ट्रीशियन के तकनीकी संवर्ग के पास निम्नलिखित पदोन्नति की संभावनाएं है:–

क्रमिक संख्या	पद का नाम	ग्रेड पे
01	फिटर	1900/–
02	सहायक इलेक्ट्रीशियन	1900/–
03	इलेक्ट्रीशियन	2800/–
04	जूनियर फोरमैन (इलेक्ट्रीशियन)	2800/–
05	वरिष्ठ फोरमैन–2	4200/–
06	वरिष्ठ फोरमैन–1	4200/–

5. निगम में प्रचलित समयमान वेतनमान की योजना के अनुसार याचिकाकर्ता दिनांक 02.06.2004 को 14 वर्ष की सेवा पूरी करने पर द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान का हकदार था, लेकिन वह नही दिया गया। ए0सी0पी0 योजना के तहत याचिकाकर्ता का वेतन काल्पनिक तय किया गया था। दिनांक 06.11.2013 के सरकारी ओदश में संशोधन करते हुए 22.08.2014 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि ''जिस विभाग में वर्तमान में धारित पद था और पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन समान है तब उस विभाग में उच्च ग्रेड वेतन पर ए0सी0पी0 लाभ दिया जाएगा। आदेश दिनांक 22.08.2014 की एक प्रति इस दावा याचिका के साथ संलग्न कर अनुलग्नक संख्या–16 के रूप में चिन्हित की जा रही है। शासनादेश दिनांक 06.11.2013 तथा 22.08.2014 के अनुसार अगला पदोन्नति वेतनमान 4200/– रूपये के ग्रेड पे में वरिष्ठ फौरमैन –2 है। इसके अलावा, सरकार के आदेश दिनांक 17.10.2008 के अनुबन्ध –I के अनुसार 2800/– रूपये का अगला ग्रेड वेतन भी 4200/– रूपये का ग्रेड वेतन है, इसलिए दोनों मामलो में याचिकाकर्ता रूपये 4200/–के ग्रेड वेतन के लिए हकदार है।

6. याचिकाकर्ता को कार्यालय आदेश दिनांक 26.08.2017 के तहत सहायक इलेक्ट्रीशियन के पद से इलेक्ट्रीशियन के पद पर पदोन्नत किया गया था। चूंकि इलेक्ट्रीशियन का वेतनमान 5200–20200 रूपये (ग्रेड पे 2800/–) का था और याचिकाकर्ता उस समय तक पहले से ही उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहा था, इसलिए वेतन फिर से निर्धारित नही किया गया। आदेश दिनांक 26.08.2017 की

एक प्रति दावा याचिका के साथ संलग्न कर अनुलग्नक 17 के रूप में चिन्हित की जा रही है। यद्यपि याचिकाकर्ता के पद के संबंध में सभी निर्णय प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी होने के कारण लिये जाने है, परन्तु वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 4 ने निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता के संबंध में ए0सी0पी0 योजना के तहत वेतन का निर्धारण पत्र दिनांक 22.08.2014 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के संदर्भ में गलत है। अतः आक्षेपित (impugned) कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.06.2019 जारी किया गया। उक्त नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.06.2019 को एक प्रत्यावेदन सुस्पष्ट रूप से यह बताते हुए किया कि याचिकाकर्ता को क्लीनर (तकनीकी) समूह 'घ' पद से फिटर (इलेक्ट्रिक) के पद पर रिमस्टर किया गया है जो कि समूह 'ग' पद है और उसके बाद सहायक इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन के रूप में पदोन्नत किया गया। शासनादेश दिनांक 06.11.2013 के अनुसार याचिकाकर्ता का वेतन 2800/– रूपये से बढाकर 4200/– रूपये कर दिया गया, चूंकि फिटर संवर्ग में पहली पदोन्नति ग्रेड 1900/– रूपये है, दूसरी पदोन्नति वेतन 2800/– रूपये है और तीसरा प्रोन्नत वेतनमान 4200/– रूपये है। सरकारी आदेश दिनांक 17.10.2008 के अनुसार भी 2800/– रूपये के ग्रेड वेतन का अगला वेतनमान 4200/–रूपये है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आदेश दिनांक 22.08.2014 आदेश दिनांक 06.11.2013 का संशोधन है और स्वयं पूर्ण आदेश नही है बल्कि एक पूरक आदेश है। यह प्रावधान कि ''जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध है, वहां पदोन्नति के पद की ग्रेड पे और प्रोन्नत पद का प्रासंगिक पे बैण्ड दिया जाना है'' को निरस्त नही किया गया है। अतः द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में 2400/– रूपये और तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में 2800/– रूपये का ग्रेड वेतन देना गलत है क्योकि फिटर सवंर्ग में 2400/– रूपये ग्रेड वेतन उपलब्ध नही है। दिनांक 20.06.2019 के प्रत्यावेदन की एक प्रति दावा याचिका के साथ संलग्न कर अनुलग्नक 18 के रूप में चिन्हित की जा रही है।

7. उक्त प्रत्यावेदन का लम्बे समय तक निपटारा नही किया गया, इस बीच प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता के साथ अन्य 17 की सेवानिवृत्ति का आदेश दिनांक 14.11.2019 को जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए थे कि किसी के खिलाफ यदि कोई बकाया हो तो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले वसूली की जाए और संबंधित मंडल प्रबंधक संबंधित कर्मचारी को सेवानिवृत्त की तिथि पर कार्यमुक्त कर देगा। आदेश 14.11.2019 की

एक प्रति इस दावा याचिका के साथ संलग्न कर अनुलग्नक 19 के रूप में चिन्हित की जा रही है। दिनांक 06.07.2020 को प्रतिवादियो द्वारा उपदान संदाय अधिनियम 1972 (पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी अधिनियम 1972) के अनुसार एक ग्रेच्युटी भुगतान आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार रू0 10,31,940/– की राशि (दस लाख इकतीस हजार नौ सौ चालीस रूपये मात्र) देय है, जिसका भुगतान प्रतिवादी संख्या 2 से राशी प्राप्त करने के बाद किया जायेगा। और प्रतिवादी संख्या 4 के सम्मुख भुगतान किया जायेगा। लेकिन उक्त राशि का भुगतान आज तक इस बहाने से नही किया गया है कि ए0सी0पी0 एरियर की बडी राशि की वसूली की जानी है। धारा 7(3) और 7(3 ए) के अनुसार यदि 30 दिनो के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान नही किया जाता है तो याचिकाकर्ता उस दर पर साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार है, जो केन्द्र सरकार द्वारा लम्बी अवधि की जमा राशि का समय–समय पर पुर्नभुगतान के लिए अधिसूचित दर से अधिक नही होगा। नियोक्ता उस व्यक्ति को देय होने की तारीख से तीस दिनो के भीतर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा, जिसे ग्रेच्युटी देय है।

8. याचिकाकर्ता 31.05.2022 को प्रतिवादी निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। याचिकाकर्ता ने 55,092/– रूपये सकल वेतन आहरित किया है और 4854/– रूपये की कटौती के बाद शुद्ध वेतन 50,239/–था, जो उसके खाते में जमा किया गया था। यहां यह उल्लेख करना प्रांसगिक है कि याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया अंतिम वेतन मूल वेतन 44,900/–और ग्रेड वेतन रू0 4200/– था इससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन दिनांक 20.06.2019 जो कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.06.2019 के जवाब में दिया गया था का न तो निपटारा किया था न ही सेवानिवृत्ति तक याचिकाकर्ता का वेतन कम किया गया था। मई,2020 की पे स्लीप और मई, 2020 की भुगतान सूची जो बैंक को भेजी गई थी की प्रति इस दावा याचिका के साथ संलग्न कर अनुलग्नक 22 के रूप में चिन्हित की जा रही है।

9. दिनांक 31.05.2020 को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के 16 दिनो के बाद यानि 16.06.2020 को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया जिसमें याचिकाकर्ता का वेतन जो कि 01.11.2013 को 9580/– के वेतनमान रूपये 9300–34800 ग्रेड पे 4200/– से कम कर वेतनमान 5200–20,200 ग्रेड पे रूपये 2800/– पर कर दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि

अनुपयोग किये गये अर्जित अवकाश हेतु देय अवकाश नगदीकरण से वसूल की जाएगी। प्रतिवादी का कृत्य अविधिक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का उल्लंघन है जिसमें यह माना गया था कि एक सेवानिवृत्ति कर्मिक से या एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति से कोई वसूली नहीं की जा सकती है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 24.07.20 को विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर स्पष्ट किया था कि शासनादेश दिनांक 11.09.2015 के अनुसार याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 4200/– रूपये का ग्रेड पे प्रदान किया गया था। सरकार के आदेश दिनांक 06.11.2013 के अनुसार प्रावधान किए गये थे कि जहां पदोन्नति पद उपलब्ध है तो अगले प्रोन्नति वेतन का ग्रेड पे दिया जाता है और यदि पदोन्नति पद उपलब्ध नहीं है तो 17.10.2008 के पत्र में उल्लिखित तालिका के अनुसार ग्रेड पे से पदोन्नति वेतन देय होगा। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन के पैरा 7 में एक तालिका प्रस्तुत कि जिसमें उसने बताया कि क्लीनर का पद 1900/– रूपये के ग्रेड पे में विलय कर दिया गया है, सहायक इलेक्ट्रीशियन का पद भी इलेक्ट्रीशियन के पद पर 1900/– रूपये में है और जुनियर फोरमैन 2800/– रूपये में है और सीनियर फोरमैन ग्रेड–2 और सीनियर फोरमैन ग्रेड –2 रूपये 4200/– के ग्रेड पे में है। परिवहन निगम के तकनीकी संवर्ग में किए गये प्रावधान के अनुसार याचिकाकर्ता अगले उच्च वेतनमान 2800/– रूपये पाने का हकदार है और और इसलिए याचिकाकर्ता का वेतन 4200/– रूपये तय किया गया है। याचिकाकर्ता 31.05.2020 को 60 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो गया है और अंतिम कार्य दिवस तक वह 4200/– रूपये का ग्रेड पे प्राप्त कर रहा था।

11. वाद हेतुक दिनांक 16.06.2020 को उस समय उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ता का वेतन 4200/– रूपये (स्तर 6) से ग्रेड वेतन से घटाकर रूपये 2800/–(स्तर 5) कर दिया गया और उस आदेश द्वारा वसूली प्रस्तावित की गयी। याचिकाकर्ता दिनांक 13.08.1981 के नियुक्ति आदेश के अनुसार प्रतिवादी निगम में 17.08.1981 को क्लीनर के पद पर सेवा में शामिल हुआ और उसके बाद समूह 'घ' पद क्लीनर को समूह 'ग' पद फीटर पर सेवाओं को रिमटस्र करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा ट्रेड टेस्ट एंव अन्य कौशल परीक्षण लेने के बाद याचिकाकर्ता को फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के पद के

लिए उपयुक्त पाया गया है, और आदेश दिनांक 02.06.1990 से फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के पद पर नियुक्त किया गया।

12. पुर्नगठन आदेश दिनांक 14.07.2006 के अनुसार क्लीनर का तकनीकी संवर्ग समूह 'घ' पद पर तथा फिटर (इलेक्ट्रीशिन) का पद समूह 'ग' पद पर है।

क्रम सं0	पद का नाम	वेतनमान	समूह
01	इलेक्ट्रीशियन	4500–125–7000	ग
02	सहायक इलेक्ट्रीशियन	3050–75–3950–80–4590	ग
03	फिटर इलेक्ट्रीशियन	2610–60–3150–80–4590	ग
04	क्लीनर	2550–55–2660–60–3200 After 15 Years 2750–70–3800	घ

13. दिनांक 06.11.2013 को एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें प्रावधान किए गये थे कि मौलिक रूप से रूपये 4800/– या उससे कम ग्रेड पे पर यदि पदोन्नति पर उपलब्ध है तो वह वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु उस पदोन्नति पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के हकदार होगे, यदि ऐसी परिस्थितियो में कोई पदोन्नति पद उपलब्ध नही है, तो शासनादेश दिनांक 17.10.2008 के अनुलग्नक–I के अनुसार अगला उच्च ग्रेड सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा।

14. निगम के तकनीकी संवर्ग में फिटर (इलेक्ट्रिक) के पास निम्नलिखित पदोन्नति की संभावनाएं है–

क्रम संख्या	पद का नाम	ग्रेड पे
01	फिटर	1900/–
02	सहायक इलेक्ट्रीशियन	1900/–
03	बिजली मिस्त्री	2800/–
04	जूनियर फोरमैन (इलेक्ट्रीशियन)	2800/–
05	वरिष्ठ फोरमैन–2	4200/–
06	वरिष्ठ फोरमैन–1	4200/–

15. शासनादेश 06.11.2013 और 22.08.2014 के अनुसार अगला पदोन्नत वेतनमान रूपये 4200/– के ग्रेड पे में वरिष्ठ फोरमैन –2 है। इसके अलावा,

शासनादेश दिनांक 17.10.2008 के अनुसार अनुलग्नक I ग्रेड पे 2800/– रूपये का अगला ग्रेड वेतन भी 4200/– रूपये है, इसलिए दोनो मामलो में याचिकाकर्ता ग्रेड वेतन रूपये 4200/– के लिए हकदार है। यद्यपि याचिकाकर्ता के पद के संबंध में सभी निर्णय प्रतिवादी सं0 3 के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी होने के कारण लिये जाने थे, परन्तु वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 4 ने निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता के संबंध में ए0सी0पी0 योजना के तहत वेतन का निर्धारण पत्र दिनांक 22.08.2014 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के संदर्भ में गलत है। अतः आक्षेपित (impugned) कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.06.2019 जारी किया गया। उक्त नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.06.2019 को एक प्रत्यावेदन सुस्पष्ट रूप से यह बताते हुए किया कि याचिकाकर्ता को क्लीनर (तकनीकी) समूह 'घ' पद से फिटर (इलेक्ट्रिक) के पद पर रिमस्टर किया गया है जो कि समूह 'ग' पद है और उसके बाद सहायक इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन के रूप में पदोन्नत किया गया। शासनादेश दिनांक 06.11.2013 के अनुसार याचिकाकर्ता का वेतन 2800/– रूपये से बढाकर 4200/– रूपये कर दिया, चूंकि फिटर संवर्ग में पहली पदोन्नति ग्रेड 1900/– रूपये है, दूसरी पदोन्नति वेतन 2800/– रूपये है और तीसरा प्रोन्नत वेतनमान रू0 4200/– है। सरकारी आदेश दिनांक 17.10.2008 के अनुसार भी 2800/– रूपये के ग्रेड वेतन का अगला वेतनमान 4200/– रूपये है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आदेश दिनांक 22.08.2014 आदेश 06.11.2013 का संशोधन है और स्वयं पूर्ण आदेश नही है बल्कि एक पूरक आदेश है। यह प्रावधान कि ''जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध है, वहां पदोन्नति के पद की ग्रेड पे और प्रोन्नत पद का प्रासंगिक पे बैण्ड दिया जाना है'' को निरस्त नही किया गया है। अतः द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में 2400/– रूपये और तृतीय ए0सी0पी के रूप में 2800/– रूपये का गेड वेतन देना गलत है क्योंकि फिटर संवर्ग में 2400/– रूपये का ग्रेड वेतन देना गलत है क्योकि फिटर संवर्ग में 2400/– रूपये ग्रेड वेतन उपलब्ध नही। तथापि, प्रतिवादी द्वारा तर्कयुक्त आदेश के साथ इस प्रत्यावेदन का निपटारा नही किया गया है।

16. याचिकाकर्ता प्रतिवादी निगम की सेवा से दिनांक 31.05.2020 को सेवानिवृत्त हो गया। याचिकाकर्ता ने 55,093 /– रूपये का सकल वेतन आहरित किया है और 4854/– रूपये की कटौती के बाद शुद्ध वेतन 50239/– था जो उसके खाते में जमा किया गया था यहां यह उल्लेख करना प्रांसगिक है कि याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया अंतिम वेतन मूल वेतन रू0 44,900/– और सकल

वेतन रू0 4200/– है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिनांक 12.06.2019 को कारण बताओ नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता के दिनांक 20.06.2019 के अभ्यावदेन का न तो निपटारा किया गया और न ही सेवानिवृत्ति तक याचिकाकर्ता का वेतन कम किया गया। दिनांक 31.05.2020 को याचिकाकर्ता की सेवाानिवृत्ति के बाद 16 दिनों के बाद यानि 16.06.2020 को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता का वेतन जो कि 01.11.2013 को 9580/–था, को वेतनमान 9300–34800/– ग्रेड पे 4200/– से घटाकर 5200–20,200 के वेतनमान में 2800/– रूपये के ग्रेड पे में कर दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि अधिक भुगतान की गयी राशि उप्रयुक्त अर्जित अवकाश के कारण सेवानिवृत्ति के समय देय अवकाश नकदीकरण से वसूल की जायेगी। प्रतिवादी का कार्य अविधिक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का उल्लंघन है जिसमें यह कहा गया है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति या एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति से कोई वसूली नही की जा सकती है।

17. प्रतिवादी इस तथ्य का अवलोकन करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है और पंजाब राज्य में बनाम रफीक मसीह और अन्य (2015) 4 एस0सी0सी0 334 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मध्येनजर याचिकाकर्ता से ऐसी कोई वसूली नही हो सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश प्रस्तुत करता है, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली कानून में अनुमन्य होगी।

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group ‘C’ and Group ‘D’ service).
(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत सरकार,1994 एस0सी0आर (1) 700, 1994 एस0सी0सी0 (2) 52, सैयद अब्दुल कादिर और अन्य बिहार राज्य और अन्य,(2009) 3 एस0सी0सी0 475, साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य,1995 आपूर्ति (1) एस0सी0सी0 18 आदि जैसे मामलों में उन मामलों के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अधिक भुगतान की वसूली की अनुमति नही दी थी। ताकि संबंधित कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाई से बचाया जा सके, उदाहरण के लिए, जहां कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये थे या सेवानिवृत्त के कगार पर थे, जहां कर्मचारियों की कोई गलती नही थी, और कई वर्षो के अंतराल के बाद जो वसूली का आदेश दिया गया तो उससे कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाई होती है। अतः प्रतिवादी द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस दिनांकित 12.06.2019 एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 16.06.2020 को अपास्त किये जावे एवं याचिकाकर्ता की उक्त आदेश से रोकी गयी ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण से कोई राशि वसूल करने से रोका जावे।

19. जबकि प्रतिवादी गण /उत्तरदाता के द्वारा याचिकाकर्ता के उपरोक्त कथनों का प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में खण्डन किया गया है कि याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 17.08.1981 को क्लीनर के पद पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात याचिकाकर्ता को 02.06.1990 को रू0 775–1067/– के वेतनमान पर फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो उस प्रांसगिक समय पर 'घ' की श्रेणी में था। वर्ष 2006 में निगम संरचना निगम मुख्यालय के स्तर पर बनाई गई थी, जिसमें फिटर श्रेणी ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 2610–3725 में आता है। इससे पहले यह ग्रुप डी के कैटेगरी में था। याचिकाकर्ता को दिनांक 17.08.1981 को क्लीनर पद पर नियुक्त किया गया था, और दिनांक 02.06.1990 को उसे फिटर (इलेक्ट्रीशियन) पद पर पदोन्नत किया गया था, उसके बाद दिनांक 01.05.2013 को सहायक इलेक्ट्रीशियन के पद पर भी पदोन्नत कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को समय–समय पर शासनादेशो और निगम के मुख्यालय के आदेश अनुसार आर्थिक लाभ दिये गये है। शासनादेश क्रमांक

770 दिनांक 06.11.2013 एवं 212 दिनांक 22.08.2014 में कहा गया है कि जिन कर्मचारी को मौलिक रूप से 4800 या उससे कम के ग्रेड पे पर नियुक्त किया गया था, जहां पदोन्नति उपलब्ध है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से पदोन्नति ग्रेड वेतन और उपयुक्त वेतन, वेतन बैंड दिया जाएगा। याचिकाकर्ता को क्लीनर के पद पर नियुक्त किया गया था, उसके बाद फिटर, सहायक इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन के पद पर पदोन्नत किया गया था।

20. प्रतिवादी निगम में याचिकाकर्ता की नियुक्ति 13.08.1981 को क्लीनर के पद पर हुई थी, जिसका वेतनमान 750–940 रूपये है। तत्पश्चात ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद वरिष्ठता के आधार पर 02.06.1990 को याचिकाकर्ता को फिटर (इलेक्ट्रीशियन) (775–1067/– रूपये का वेतनमान) के पद पर पदोन्नति दी गई। तत्पश्चात 02.06.2014 को याचिकाकर्ता को फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के पद पर प्रथम उच्च वेतनमान 899–1081 और 02.06.2004 को 2050–4500 रूपये का दूसरा उच्च वेतनमान प्रदान किया गया। तत्पश्चात 01.09.2008 को तृतीय ए0सी0पी0 याचिकाकर्ता को 26 साल की सेवा पूरी करने के बाद तत्कालीन प्रचलित नियमों के अनुसार 2800/– रूपये ग्रेड पे दिया गया था। तत्पश्चात 02.11.2013 को मुख्यालय के आदेश संख्या 770 दिनांक 06.11.2013 के अनुसार व्यक्तिगत आधार पर 2800/– का ग्रेड वेतन 4200 रूपये तक बढा दिया गया था। प्रतिवादी निगम मुख्यालय पत्र संख्या 156 दिनांक 14.11.2019 पत्र संख्या 165 दिनांक 03.10. 2019 परिवहन सचिव द्वारा जारी किया गया एवं पत्र संख्या 161 के अनुसार 4200 रूपये ग्रेड पे का लाभ गलती से दिया गया। अतः कमांक 2830 दिनांक 16.06. 2020 के द्वारा 2800 रूपये ग्रेड पे में संशोधन कर वेतन नियत किया गया है। शासनादेश दिनांक 28.11.2017 की सत्य एवं सही प्रति तथा पत्र दिनांक 03.10. 2019, 14.11.2019 को सामूहिक रूप में इस शपथ पत्र के अनुलग्नक संख्या सी0ए 2 के रूप में अंकित किया जा रहा है। निवेदन है कि दिनांक 01.09.2008 से तृतीय ए0सी0पी का लाभ याचिकाकर्ता को 2800/– रूपये के ग्रेड पे पर प्रदान किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 01.11.2016 को शासनादेश क्रमांक 770 दिनांक 06.11.2013 के अनुसार याचिकाकर्ता को 4200/– रूपये का ग्रेड पे प्रदान किया गया, लेकिन पत्र संख्या 156 दिनांक 14.11.2019 को प्रतिवादी निगम मुख्यालय, अनुसार जारी किया गया। सचिव, परिवहन द्वारा जारी पत्र संख्या 165 दिनांक 03.10.2019 एवं पत्र संख्या 161, ग्रेड पे 4200 रूपये का लाभ झूठा पाया गया, इस संबंध में आदेश

संख्या 2830 दिनांक 16.06.2020 के तहत ग्रेड पे मे संशोधन कर 2800/– रूपये वेतनमान घोषित किया गया।

21. प्रतिवादी निगम मुख्यालय पत्र संख्या 156 दिनांक 14.11.2019, पत्र संख्या 165 दिनांक 03.10.2019 परिवहन सचिव द्वारा जारी किया गया एवं पत्र संख्या 161 के अनुसार 4200 रूपये ग्रेड वेतन का लाभ दिया, जो त्रुटिपूर्ण था, अतः आदेश संख्या 2830 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा 2800/– रूपये के ग्रेड पे में संशोधन कर भुगतान नियत किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष दायर दावा याचिका योग्यता से रहित है, तथा याचिकाकर्ता ने माननीय अधिकरण के समक्ष तथ्यात्मक सामग्री को छुपाया है। अतः याचिकाकर्ता की याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

22. जबकि याचिकाकर्ता की ओर से <u>प्रतिवादी/ उत्तरदातागण</u> ने अपने प्रतिशपथ पत्र में उपरोक्त कथनों का खण्डन अपने रिजवान्डर एफिडेविट में संक्षेप में इस कथन के साथ किया गया है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के ग्रेड वेतन को अवैध रूप से कम कर दिया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता इस माननीय अधिकरण से पूरी तरह राहत पाने के हकदार है। प्रतिवादी ने इस पैरा के उत्तर में केवल एक कथन प्रस्तुत किया है और याचिकाकर्ता के दावे के संबंध मे कोई कारण नही दिया है। ''निगम मुख्यालय द्वारा जारी आदेश/ शासनादेशो के अनुसार, याचिकाकर्ता को समय–समय पर वित्तीय लाभ दिया गया है।'' चूंकि याचिकाकर्ता को शुरू में 4800/– से कम ग्रेड वेतन में नियुक्त किया गया है और उसके संवर्ग में पदोन्नति संरचना उपलब्ध है, इसलिए वह रूपये 4200/– वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। याचिकाकर्ता को शुरू में क्लीनर के रूप में नियुक्त किया गया था, उसके बाद ट्रेड टेस्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को फिटर के रूप में नियुक्त किया गया था और उसको वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति में फिट होने पर सहायक इलेक्ट्रीशिन के पद पर और अंत में इलेक्ट्रीशियन कि पद पर पदोन्नत किया गया। विवाद तीसरे ए0सी0पी0 के लिए है। फिटर का तदनुरूपी वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे (1900) का है और उसके बाद उपलब्ध अगला प्रोन्नत वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड पे 2800/–का वेतनमान में है और फिर रूपये 4200/– का ग्रेड पे है। चूंकि सरकार ने दिनांक 06.11.2013 के आदेश द्वारा पदोन्नति पद का ग्रेड पे देने का निर्णय लिया है, इसलिए 01.11.2013 से 9300–34800 के वेतनमान ग्रेड पे 4200/– में किया गया वेतन निर्धारण नियमो के अनुसार है। यह

उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भले ही प्रतिवादी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह नियमो के दायरे में नहीं है, फिर भी प्रतिवादी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रफीक मसीह बनाम पंजाब राज्य (2015) 4 एससीसी 334 में हुए निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम भुगतान में से वसूली आदेश जारी नही कर सकते।

23. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

24. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों को यह निर्विरोध स्वीकार है कि याचीकर्ता, प्रतिवादीगण/उत्तरदाता परिवहन निगम में दिनांक 17.08.1981 को क्लीनर के पद पर नियुक्त हआ था। क्लीनर की सेवायें ग्रुप ''डी'' पद रिमस्टर कर फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के ग्रुप 'सी' पद पर बहाल करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित परेड टेस्ट एवं अन्य कौशल परीक्षण चयन समिति द्वारा याचिकाकर्ता को फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के पद हेतु उपयुक्त पाया और दिनांक 02.06.1990 के आदेश द्वारा याचीकर्ता को फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के पद पर नियुक्त किया गया और दिनांक 31.05.2020 को याचीकर्ता परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हो गया।

25. अब जहां तक प्रतिवादी/ उत्तरदाता द्वारा दिनांक 12.06.2019 को याचीकर्ता के वेतन ग्रेड पे 4200/– को घटाकर 2800/–करने हेतु पत्र (कारण बताओ नोटिस) जारी करने का प्रश्न है, के संबंध में याचीकर्ता द्वारा अपने मांगे गये प्रत्यावदेन में स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी /उत्तरदाता को अवगत कराया गया कि याचीकर्ता को क्लीनर (तकनीकी) समूह 'घ' पद जो फिटर (इलेक्ट्रीशियन) के पद पर रिमस्टर किया गया है। जो कि समूह 'ग' का पद है और उसके बाद सहायक इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रीशियन के रूप में पदोन्नत किया गया। शासनादेश दिनांक 06.11.2013 के अनुसार याचीकर्ता का वेतन 2800/– से बढ़ाकर 4200/– कर दिया गया, चूंकि फिटर संवंर्ग में पहली पदोन्नति 1900/– दूसरी 2800/– रू0 और तीसरा प्रौन्नत वेतनमान 4200/– होना स्पष्ट किया गया था। याचीकर्ता के उक्त प्रत्यावेदन का प्रतिवादीगण द्वारा निस्तारण नहीं किया गया साथ ही उक्त कारण बताओ नोटिस (वेतन कटौती पत्र) याचीकर्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2020 के 16 (सोलह) दिन बाद किया गया तथा याचीकर्ता को स्वीकृत /अनुमन्य ग्रेड वेतन 4200/– को त्रुटिपूर्ण देय होना कहा गया लेकिन याचीकर्ता द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन का निस्तारण किये बिना ही त्रुटिपूर्ण कारणों को भी प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र में स्पष्ट

नहीं किया गया जबकि दौरान बहस याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता_द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, STATE OF PUNJAB AND OTHERS VERSUS RAFIQ MASIH (WHATE WASHER) ANDE OTHER (2015) 4 Supreme Court Cases 334 में दी गयी विधि व्यवस्था की ओर माननीय अधिकरण का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि याचीकर्ता को दिये गये ग्रेड पे 4200/– में कोई त्रुटि नहीं है साथ ही याचीकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रतिवादी द्वारा देय ग्रेड पे के बावत कोई नोटिस अथवा आदेश जारी नहीं किया था और याचीकर्ता श्रेणी 'ग' का कर्मचारी रहा है जिससे प्रतिवादीगण, यदि याचीकर्ता को देय ग्रेच्युटी व अर्जित अवकाश नगदीकरण की धनराशि से कोई भी कटौति करते है तो याचीकर्ता को अत्यंत ही कठिनाई होगी तथा स्वयं व अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर सकेगा जैसा कि उपरोक्त विधि व्यवस्था में भी मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धांत पतिपादित किया है कि–

> 'Recovery of amount paid in excess without fault of recipient- Balancing of conflicting claims- Hardship caused to employee in case recovery is directed vis-à-vis equitable right of employer to recover-Recovery, when impermissible-
>
> Held, benefit of non-recovery cannot extend to employee merely because he was not accessory to mistake committed by employer, or was not guilty of furnishing any factually incorrect information, or fraud or misrepresentation-However, (even though there can be no exhaustive determination or list) recoveries would be impermissible in following circumstances:
>
> (i) Recovery from employees belonging to Class III & Class IV (Groups C&D);
> (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year of order of recovery;
> (iii) Recovery from employees to whom excess payment has been made for a period in excess of five years, before order of recovery is issued;
> (iv) Recovery where employee is wrongfully required to discharge duties of higher post and has been paid accordingly; and
> (v) In any other case, where court concludes that recovery if effected from employee would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh equitable balance of employer's right to recover.

26. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में यह स्पष्ट है कि सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (श्रेणी 'ग' व 'घ') के कर्मचारी से सेवानिवृत्त होने के उपरान्त कोई भी अधिक देये भुगतान वसूल नहीं किया जायेगा। याचीकर्ता के विद्धान अधिवक्ता ने दौरान बहस प्रतिवादी / उत्तरदाता परिवहन निगम से सेवानिवृत्त अन्य 27 कर्मचारीगण जिनके द्वारा याचिकाऐं मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में योजित की थी जो Writ Petition (S/S) No. 1593 of 2021 Balam Singh Aswal Versus Managing Director And others के साथ दिनांक 14.06.2022 को मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में ही निर्णय पारित करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया कि –

> "In these eventualities, this Court is of the view that the petitioners, who are the retired employees had been rather, owing to the inaction and arbitrary aptitude adopted by the State Corporation have been rather forced upon with the litigation to file a Writ Petition for the enforcement of the genuine rights of payment of retiral benefits, which according to respondents, in some of the cases, they are already entitled to owing to the partial sanctions already accorded by the respondents.
>
> In that eventuality, and for the reasons assigned above, at this stage, this Court is deliberately not addressing itself on the report submitted by the Secretary, Transport Department dated 1st April, 2022, and is refraining to make any observation owing to the stand taken by the respondents counsel, that they would be remitting the retiral benefits, which the petitioners are otherwise entitled to in accordance with the law, based upon the last salary drawn by them."

27. अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त चर्चित तथ्यों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में प्रश्नगत मामले में यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता को दिये गये वेतनमान ग्रेड पे 4200/– को त्रुटिपूर्ण दिये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख अपने प्रतिशपथ पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा नही दिया गया साथ ही याचीकर्ता द्वारा दिये गये प्रत्यावदेन का भी निस्तारण नही किया गया और याचीकर्ता की सेवानिवृत्ति

दिनांक 31.05.2020 के 16 (सोलह) दिन बाद याचीकर्ता का ग्रेड पे रू0 4200–से 2800– संशोधित किये जाने के संबधं में याचीकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया और दिनांक 16.6.2020 को याचीकर्ता के वेतन ग्रेड पे 4200/– के स्थान पर 2800/– करते हुए वेतन निर्धारण किया गया जो पूरी तरह उपरोक्त विधि व्यवस्था के विपरीत है। जबकि शासनादेश दिनांक 06.11.2013 के अनुसार याचिकाकर्ता का वेतन 2800/– रूपये से बढाकर 4200/– रूपये कर दिया गया, चूंकि फिटर संवर्ग में पहली पदोन्नति ग्रेड पे 1900/– रूपये है, दूसरी पदोन्नति वेतन ग्रेड पे 2800/– रूपये है और तीसरा प्रोन्नत वेतनमान ग्रेड पे 4200/– रूपये है। सरकारी आदेश दिनांक 17.10.2008 के अनुसार भी 2800/– रूपये के ग्रेड वेतन का अगला वेतनमान 4200/–रूपये है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आदेश दिनांक 22.08.2014 आदेश दिनांक 06.11.2013 का संशोधन है और स्वयं पूर्ण आदेश नहीं है बल्कि एक पूरक आदेश है। यह प्रावधान कि ''जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध है, वहां पदोन्नति के पद की ग्रेड पे और प्रोन्नत पद का प्रासंगिक पे बैण्ड दिया जाना है'' को निरस्त नहीं किया गया है। तदनुसार याचीकाकर्ता की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा याचीकर्ता को दिये गये पत्र (कारण बताओ नोटिस) दिनांक 12.06.2019 एवं संशोधित वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 16.06.2020 जिससे याचीकर्ता का वेतन ग्रेड पे 4200/– से घटाकर 2800/– किया गया, अपास्त किये जाते है। अतः प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण याचीकर्ता के अवैधानिक रूप से रोके गये सेवानिवृत्ति भुगतान ग्रेच्युटी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 7 के क्रमानुसार ब्याज सहित एवं अर्जित अवकाश पर अवकाश नगदीकरण से कोई राशि वसूल न करते हुए याचीकर्ता के ग्रेड वेतन 4200/– पर निर्धारित करते हुए अन्दर 60 दिन में भुगतान करना सुश्चिित करें। वाद की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे।

दिनांकः अगस्त 17, 2022
देहरादून।

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)